न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सन् 2020

अपील नामा0संख्या 03/20
RCMS NO-2020/00009
बउनवानीः–

1. राजेन्द्र पुत्र नाथूलाल गुर्जर निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल गुर्जर निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. जगदीश पुत्र भैरू गुर्जर निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. अमन पुत्र गिर्राज गुर्जर निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर(ना.बा.)
5. तसन पुत्र गिर्राज गुर्जर निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर(ना.बा.)
   जरिये संक्षक माता निरमा पत्नि गिर्राज गुर्जर नि0 आलनपुर
6. रामभरोसी पत्नि भैरू गुर्जर निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
7. शंकर पुत्र छोटया गुर्जर निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
8. हंसराज पुत्र छोटया गुर्जर निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. मुरादशाह पुत्र अमीर शाह, जाति मुसलमान फकीर आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
2. सत्तार शाह पुत्र अमीर शाह,जाति मुसलमान फकीर आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
3. फरियाद शाह पुत्र अमीरशाह,जाति मुसलमान फकीर आलनपुर तह0 स0मा0
4. गफ्फार शाह पुत्र अमीर शाह, जाति मुसलमान फकीर आलनपुर तह0 स0मा0
5. चन्दी पत्नि अमीर शाह, जाति मुसलमान फकीर आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
   समस्त निवासी दरगाह के पास स्कूल फिल्ड मैदान तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2563 निर्णय दिनांक 11.12.2019 वाके ग्राम आलनपुर, तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री उमा शंकर शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील रेस्पो.

–: निर्णय :– **दिनांक 11.3.2020**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 2563 निर्णय दिनांक 11.12.2019 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील बिना मौके की जॉच एवं मृत व जीवित व्यक्तियो की जॉच व उनके वारिसान की जॉच किये बिना खोला है जिसमे मृत व्यक्तियों के नाम भी बिना वारिस बताये गये है जबकि कॉलम संख्या 7 में दर्ज छोटया पुत्र रामपाल गुर्जर मर गया है बिना उसके कायम मुकाम बनाये किसी भी प्रकार की कार्यवाही वैधानिक नही हो सकती है मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश शुन्य है तथा निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलाधीन नामा0 25.5.2018 को कॉलम संख्या 14 व 16 में डिग्री सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर की पालना मे तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध नामा0 क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर तस्दीक किया गया है जबकि कोर्ट मे इजराय दाखिल करके उसके आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाना चाहिए था किन्तु आदेश जैर अपील कानूनी प्रावधानो को ताक पर रखकर पक्षकार से साज कर नामा0 नियम 118 से 127 का वोईलेशन कर उपरोक्त अपीलाधीन नामा0 तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो. के पक्ष मे बिना किसी जॉच के तथा बिना प्रभावी पक्षकार को सुनवायी का मौका दिये डिग्री व निर्णय दिनांक 21.9.1999 के आधार पर नामा0 तस्दीक किया है जबकि राज. मियाद अधिनियम,1963 के अनुसार डिक्री की पालना की समयावधि 12 वर्ष है इसके बाद किसी भी डिक्री की पालना सम्भव नही है तथा 12 वर्ष बाद डिग्री व आदेश मियाद बाहर हो जाता है किन्तु नामा0 मे उक्त तथ्यो को छुपाकर नामा0 डिग्रीदारान के पक्ष मे नही खोलकर एक ही डिग्रीदार के पक्ष मे तस्दीक किया गया है तथा तहसील सवाईमाधोपुर मे डीएलआरएमपी कार्य चलने के कारण नामा0 प्रक्रिया पर रोक होने

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

के बावजूद भी उक्त नामा0 खोला गया है इसलिए मियाद बाहर डिग्री की पालना मे खोला गया नामा0 शुन्य एवं अवैधानिक व निरस्त योग्य है। अतः अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि उक्त नामा0 सहायक जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 80/1986 उनवानी मुरादशाह बनाम नाथूलाल वगै. मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.1999 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है। आदेश जैर अपील मे वर्णित भूमि की कब्जे की जॉच नही करने बाबत वकील अपीलान्ट का कथन इसलिए सही नही है क्योकि तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि पर वर्तमान में भी रेस्पो. का ही कब्जा काश्त है तथा वर्तमान मे गेंहूँ की फसल काश्त रेस्पो. द्वारा किया जाना बताया गया तथा सम्वत् 2003 से 2023 की जमाबन्दी खतौनी एवं सम्वत् 2015 से 2018 की जमाबन्दी से अपीलान्ट के पूर्वज अमीरशाह का कब्जा होने की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त घांसी गुर्जर,गोकुल गुर्जर,कमलसिंह गुर्जर,चिरंजी माली, श्रीमति प्रेमदेवी बैरवा,गोपाल लाल बैरवा,कन्नू खटीक,बाबूलाल बैरवा,रामपाल बैरवा, अब्दुल अजीज मुसलमान, गजानन्द कीर इत्यादि ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिसमे उक्त भूमि पर रेस्पो. एवं उनके पूर्वजो का ही कब्जा काश्त बताया गया तथा विवादित भूमि मौके पर एक ही चक के रूप मे है जो कि रेस्पो. के खेतो के बीच मे है। जहॉ तक सभी डिक्रीदारान के पक्ष मे नामा0 नही खोलने का प्रश्न है तो दावा संख्या 80/1986 मे प्रस्तुत संशोधित टाईटल के अनुसार तो रेस्पो. ही सभी डिक्रीदार थे जिनके पक्ष मे ही विधिवत नामा0 खोला गया है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट को जानकारी होने के उपरान्त भी उक्त निर्णय दिनांक 21.9.1999 की अपील नही की गयी है इसलिए मयाद बाहर डिक्री की पालना करने का बिन्दु इस प्रकरण पर लागू नही होता है। तहसील सवाईमाधोपुर मे नामा0 खोलने की प्रकिया पर कोई रोक नही है केवल मात्र नामा0 का ऑनलाईन अपडेशन नही हो रहा है इसलिए उक्त नामा0 दर्ज फैसल करते समय कोई अनियमितता नही हुई है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रथम तो उक्त नामा0 संख्या 2563 दिनांक 11.12.2019 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 80/1986 उनवानी मुरादशाह बनाम नाथूलाल वगै. मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.1999 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है जिसमे पक्षकारान को नोटिस दिये जाने अथवा मौके की जॉच किये जाने की गुन्जाईश नही है। इसके अतिरिक्त वकील रेस्पो. द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात तथा तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर रेस्पो. के पूर्वजो का एवं वर्तमान मे रेस्पो. का कब्जा होने की पुष्टि हो जाती है तथा सहायक कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत संशोधित टाईटल की प्रति के अनुसार उक्त दावे में डिक्रीदार रेस्पो. ही है जिनके पक्ष मे नामा0 खोला गया है। इस प्रकार वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन मे ऐसा कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर आदेश जैर अपील विधि विरूद्व साबित होता हो। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.30 18:07:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: